

पत्रांक : 11प0 / ई0ग्रा0स्वा0-01-01 / 2022 / 658 / पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

आनंद शर्मा, मा०प्र०से०
निदेशक

सेवा में,

राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी (SIO),
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC),
बिहार, टेक्नोलॉजी भवन पटना।

पटना, दिनांक 19/1/2024

विषय :- ePanchayat Bihar Portal पर आंशिक संशोधन करने के संबंध में।
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि दिनांक- 15.01.2024 को हुई समीक्षात्मक बैठक में ePanchayat Bihar Portal पर संशोधन हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

1. षष्ठम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सभी ग्राम पंचायतों का प्रारंभिक शेष 01.11.2023 एवं पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों का प्रारंभिक शेष (Opening Balance) दिनांक-01.01.2024 का अंकित किया जाना है।
2. वित्तीय वर्ष 2023-24 में षष्ठम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत निर्धारित राशि आवंटनादेश के अनुरूप तीनों स्तर पर अंकित की जाएगी।
3. DSC Expiry एवं संबंधित कर्मियों के स्थानांतरण, मृत्यु, पदोन्नति एवं पदत्याग आदि की स्थिति में DSC Removal का अनुमोदन त्रिस्तरीय स्तर पर eGramSwaraj के अनुरूप अपने एक स्तर ऊपर से प्राप्त किया जा सकेगा।
4. योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन तथा सामग्री दर, Bank Account, IFS CODE जिला स्तर पर संशोधन किया जा सकता है। जबतक संबंधित Voucher का भुगतान प्रक्रिया नहीं किया गया हो।
5. पंचायतों के नाम एवं LSDG Code से संबंधित किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन राज्य स्तर पर ही किया जाएगा।
6. Carriage पर GST का Provision अलग से किया जाएगा साथ ही पुराने योजनाओं के लिए Carriage पर GST हेतु सहमति लिया जाएगा।

विश्वासभाजन

(आनंद शर्मा)

निदेशक

ज्ञापक :- 11प0 / ई0ग्रा0स्वा0-01-01 / 2022 / 658 / पं०रा० पटना, दिनांक 19/1/24
प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनंद शर्मा)

निदेशक

15/01/24